<u>कृषि विभाग, बिहार सरकार</u>

# राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन

# तेल मिल स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित

1. राज्य में तेलहन प्रसंस्करण एवं तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देने हेतु कृषि विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

2. **तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु पात्र आवेदक**

- सरकारी/निजी उद्योगा,
- कृषक उत्पादक समूह (FPO/VCP),
- तेलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्ट–अप
- सहकारी समितियाँ

3. **पात्रता मानदंड :–**

3.1 **समूह श्रेणी :–**

- इस योजना के अन्तर्गत FPO/VCP आवेदन कर सकते हैं।
- FPO/VCP कम से कम पिछले 02 वर्षों से पंजीकृत एवं संचालित होने चाहिए।
- आवेदक के पास परियोजना लागत के कम से कम 15 प्रतिशत अंशदान एवं कार्यशील पूँजी हेतु संसाधन उपलब्ध होना चाहिए।
- तेलहन से संबंधित FPO/VCP को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.2 **व्यक्तिगत श्रेणी :–**

- व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होगी। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही अनुदान हेतु पात्र होगें। परिवार में स्वयं, पति/पत्नी तथा अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- आवेदक के पास परियोजना लागत के कम से कम 15 प्रतिशत अंशदान एवं कार्यशील पूँजी हेतु संसाधन उपलब्ध होना चाहिए।

नोट :– अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **वित्त पोषण का तरीका :–**

- तेल प्रसंस्करण इकाई (10 टन क्षमता) स्थापना हेतु प्रति इकाई अधिकतम 9,90,000.00/– रूपये या प्रोजेक्ट लागत का 33% अनुदान देय होगा।
- भूमि, विद्युत, मानव बल, श्रम एवं अन्य परिचालन व्यय पर अनुदान देय नहीं होगा।
- बैंक ऋण इस योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु अनिवार्य होगा। शेष राशि आवेदक द्वारा अंशदान/ऋण/अन्य योजनाओं से व्यवस्था की जायेगी।

5. **आवेदन प्रक्रिया :–**

- विभाग स्तर से आवेदन आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- Online आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 31 दिन के अंदर **बिहार कृषि ऐप/डी0बी0टी0 पोर्टल** से प्राप्त किया जायेगा।

6. **संवीक्षा एवं चयन प्रक्रिया :–**

- प्राप्त आवेदनों की जाँच, मूल्यांकन एवं अनुमोदन जिला स्तरीय तेलहन समिति द्वारा किया जायेगा।
- DOSM (जिला स्तरीय तेलहन मिषन) प्राप्त प्रस्तावों का तेलहन मिशन की प्रासंगिकता, परिचालन एवं वित्तीय व्यवहार्यता, प्रस्तावित क्षमता एवं प्रौद्योगिकी, पूर्व अनुभव एवं उपलब्धियों के अभिलेख तथा उत्पादकों के साथ प्रस्तावित सम्बद्धता के आधार पर जाँच एवं तकनीकी मूल्यांकन करेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पूर्णता, पात्रता तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूपता के संबंध में जाँच की जाएगी।
- अपूर्ण आवेदनों को निर्धारित अवधि के अंदर पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
- लाभुक का चयन लक्ष्य के तीन गुना कर प्राथमिकता सूची बनाया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची से प्रथम क्रम के चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा तथा स्वीकृति पत्र निर्गत करने के एक माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर जिला कृषि पदाधिकारी उनके स्वीकृति पत्र निरस्त करते हुए अगले क्रम के चयनित लाभुक के नाम का स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा।

7. **सत्यापन एवं निगरानी :–**

- जिला कृषि पदाधिकारी समय–समय पर भौतिक सत्यापन एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा तेल मिल प्रसंस्करण इकाई स्थापना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन DOSM (जिला स्तरीय तेलहन मिषन) एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

8. **अनुदान विमुक्ति प्रक्रिया :–**

- अनुदान राशि दो चरणों में विमुक्त की जाएगी। 50 प्रतिशत अनुदान मशीनरी स्थापना के पश्चात तथा शेष 50 प्रतिषत सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत देय होगा।
- इकाई स्थापना के उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त मानक के अनुरूप पाए जाने पर अनुदान राशि लाभुक के आधार संख्या जो संबद्ध बैंक खाते में अंकित हो अंतरित की जायेगी।
- **राशि की विमुक्ति जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात् की जाएगी।**

9. **सामान्य शर्ते :–**

- सभी मशीनरी BIS या समान गुणवत्ता मानक के अनुरूप होगी।
- FSSAI/ पर्यावरण, श्रम सुरक्षा तथा अन्य सांविधिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सहायता अनुदान 10 टन क्षमता वाले नव निर्मित तेल प्रसंस्करण इकाई पर देय होगी।
- लाभुक के परिसम्पत्ति कम से कम 03 वर्ष तक बनाये रखना होगा। इस अवधि में बिना अनुमोदन हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी या निपटान नहीं किया जायेगा।

10. निरीक्षण, अनुश्रवण एवं अनुदान के दुरूपयोग की स्थिति में वसूली एवं नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रभारी पदाधिकारी
राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिषन,
कृषि निदेषालय, बिहार, पटना।

# राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन के अन्तर्गत तेल प्रसंस्कारण ईकाई स्थाापना हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. कृषक का पहचान पत्र/आधार कार्ड।
2. कृषक का पंजीकरण संख्या।
3. कृषक का फोटो।
4. कृषक का जाति प्रमाण पत्र।
5. सरकारी/निजी उद्योगों, कृषक उत्पादक समूह (FPO), तिलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्ट–अप एवं सहकारी समितियों का पंजीकृत प्रमाण पत्र।
6. DPR (परियोजना प्रतिवेदन)
7. बैंक लोन का प्रमाण /बैंक खाता से लेन देन की प्रति।
8. तेल प्रसंस्कारण ईकाई स्थाापना हेतु भूमि दस्तावेज।
9. तेल प्रसंस्कारण ईकाई स्थाापना हेतु मकान की विवरण सहित फोटो।

नोट :– आवेदन करते समय सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित ही अपलोड करें।

# फसल उपरांत मूल्य श्रृंखला समर्थन (ऑयल मिल)
## कार्यान्वयन हेतु प्रवाह चार्ट

डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन हेतु गुगल फार्म Generate किया जायेगा।

↓

आवेदक डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेगा।

↓

प्राप्त आवेदन की समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय तेलहन मिशन (District Oilseed Mission) द्वारा की जायेगी।

↓

| स्वीकृत | अस्वीकृत |
|---|---|

↓ (स्वीकृत)

आवेदन स्वीकृत होने के तीन महिने के अन्दर आवेदक को आधारभूत संरचना का सत्यापन जिला स्तरीय गठित जाँच टीम से कराना होगा।

↓

जिला स्तरीय गठित जाँच टीम से सत्यापन के उपरांत योजना की 50% राशि आवेदक को दी जायेगी।

↓

जिला स्तरीय गठित जाँच टीम से सत्यापन के उपरांत शेष 50% राशि आवेदक को 75% कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी।